



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273879
CG-DL-E-27062026-273879

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3274]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/ आषाढ 4, 1948

No. 3274]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3408(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 1863 (अ). दिनांक 13.04.2026 (प्रधान अधिसूचना), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में नीचे दी गई अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित संशोधन करती है;

अधिसूचना

आवश्यक संशोधन का विवरण निम्नानुसार है

क्रमिक संख्या	मुख्य अधिसूचना जिसमें संशोधन की आवश्यकता है			संशोधित किया जाने वाला मामला			
	जगह	मामले का विवरण		तालुक का नाम	गांव का नाम		
		तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	क्रमिक संख्या 1, कॉलम 6 और 7	मुंडका	2	जौन्ती	मुंडका	2	जौन्ती
			5	निजामपुर रशदपुर		5	निजामपुर रशीदपुर
			6	सावदा		6	सावदा

[फा.सं. PIU/NE5/01/02]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3408(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, here by makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1863(E). dated 13.04.2026 (Principal Notification) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) as per the schedule given below;

SCHEDULE

Details of Amendment required as under

S. No.	Matter in Principal notification that requires amendment			Matter to be amended as			
	Location	Details of matter		Name of Taluk	Name of Village		
		Name of Taluk	Name of Village				
1	Serial No. 1, column 6 & 7	Mundka	2	Jaunti	Mundka	2	Jaunti
			5	Nizampur Rashadpur		5	Nizampur Rashidpur
			6	Swada		6	Sawda

[F. No. PIU/NE5/01/02]

SHAIKH AMINKHAN, Director